

नए दवियांगता प्रमाण-पत्र संबन्धी नयिम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने [दवियांगजन वयक्तियों के अधिकार \(संशोधन\) नयिम, 2024](#) को अधिसूचित किया।

■ प्रमाणन प्रक्रिया में परिवर्तन:

- प्राधिकारी की आवश्यकता: केवल ज़िला स्तर पर नामति चकितिसा प्राधिकारी ही दवियांगता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।
- कलर-कोडित UDID कार्ड: दवियांगजन के स्तर को दर्शाने के लिये कलर-कोडित वशिष्ट सफेद, पीले और नीले दवियांगता पहचान कार्ड (UDID) पेश किये गए। नीला रंग 80% या उससे अधिक दवियांगता स्तर को दर्शाता है।
- केवल ऑनलाइन आवेदन: नए नयिमों के अनुसार दवियांगता प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनविर्य कर दिया गया है।
- एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग टाइम: दवियांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी गई है।
- पुनः आवेदन की आवश्यकता: यदि दवियांगता प्रमाण पत्र आवेदन पर दो वर्ष के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।

और पढ़ें: [दवियांगजन वयक्तियों को सशक्त बनाना](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-disability-certificate-rules>

